फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री पुखराज टांक पिता श्री छोगालाल जी निवासी वृन्दावन धाम, रोड़ नं. 2 न्यु भोपालपुरा उदयपुर जिला उदयपुर (राज.) — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 59 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 25.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— एफ.1()सू0अ0,05 / 2025 / 600 दिनांक 15.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 29.04.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 05.05.2025 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी / अपीलार्थी के आवेदन में ईप्सित सूचना मौजा मण्डियाना तहसील नाथद्वारा में प्रथम पैमाईश में नाथद्वारा मन्दिर मण्डल को क्रयशुदा भूमि कालान्तर में 1967 की आवंटन पत्रावली को खोजा गया लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वर्ष 1967 की आवंटन पत्रावली रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। एवं इस कार्यालय के रिकॉर्ड में वर्ष 1992 के बाद की आवंटन पत्रावलीयॉ उपलब्ध है, इस संबंध में प्रार्थी को जरिये डाक से सूचना प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि में इस कार्यालय के पत्रांक 377 दिनांक 06.05.2025 से सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी मौजा मण्डियाना तहसील नाथद्वारा में प्रथम पैमाईश में नाथद्वारा मन्दिर मण्डल को क्रयशुदा भूमि कालान्तर में 1967 की आवंटन पत्रावली को खोजा गया लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वर्ष 1967 की आवंटन पत्रावली रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। एवं इस कार्यालय के रिकॉर्ड में वर्ष 1992 के बाद की आवंटन पत्रावलीया उपलब्ध है।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई आवंटन पत्रावली वर्ष 1967 की कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने एवं कार्यालय रिकॉर्ड में वर्ष 1992 के बाद की आवंटन पत्रावलीया उपलब्ध है। उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा प्रार्थी को निश्चित समयावधि में कार्यालय के पत्रांक 377 दिनांक 06.05.2025 से सूचित कर दिया जाने से अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)